

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा  
पीठासीन अधिकारी: उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या -129/2016 (आवंटन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00189

1. नरवर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नूरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा -राजस्थान

---प्रार्थी.

बनाम

1. बापूलाल पुत्र श्री देवीलाल जाति चमार निवासी ग्राम नूरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा - राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र वास्ते आवंटन निरस्त किये जाने बाबत आवंटन दिनांक 25.11.2010 भूमि आवंटन सलाहकार समिति रामगंजमण्डी नियम 14 (4) भू आवंटन अधिनियम

उपस्थित-

1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक अप्रार्थी नं० 2


निर्णय

दिनांक - 20/07/2021

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम नूरपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नं० 51 की 1.62 हे० भूमि दिनांक 25.11.2010 आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बापूलाल पुत्र देवीलाल जाति चमार निवासी ग्राम नूरपुरा को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की जाने पर उक्त आवंटन के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्तीकरण हेतु आवेदन पेश किया है ।
2. प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन के विरुद्ध दिनांक 16.06.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम नूरपुरा में अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा काश्त करने के लिये दिनांक 25.11.2010 को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष खसरा नम्बर 42 रकबा 0.57 हे० एवं खसरा नम्बर 48 की 0.28 हे० भूमि आवंटन करने हेतु आवेदन किया जिस पर आवंटन कमेटी द्वारा प्रार्थी को भूमिहीन मानते हुए दिनांक 25.11.2010 को

जिज्ञा कलेक्टर  
कोटा


आवंटन की जाकर गैर खातेदारी अधिकार दर्ज करने के आदेश दिये गये । भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी कम-01 को किया गया आवंटन विधि के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है क्योंकि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटन करने से पूर्व किसी भी प्रकार की उद्घोषणा नहीं की गई और न ही उद्घोषणा की प्रति किसी बोर्ड पर चरपा की गई है । आवंटन पश्चात आवंटी को कोई दस्तावेज नहीं सम्भलाया गया और न ही उक्त आवंटन की प्रक्रिया मौके पर की गई जबकि विधि के अनुसार समस्त आवंटन प्रक्रिया मौके पर ही कर आवंटी को दखल नामा दिया जाना चाहिए था और सारी प्रक्रिया मौके पर ही करना चाहिए थी । अप्रार्थी कम 1 को मिली भगत कर कपट पूर्वक मिथ्यारूप से आवंटन किया गया है क्योंकि अप्रार्थी कम 1 को आवंटित की गई भूमि का केवल मात्र कागजों में दखल दिया गया है । उक्त दखलनामा में स्पष्ट रूप से यह आलेखित किया गया है कि खसरा नम्बर 48 रकबा 0.23 हे0 पर कब्जा नहीं दिया जा सकता । क्योंकि मौके पर उक्त आराजी पर रास्ता बना हुआ है जबकि विधि के अनुसार रास्ते की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता । उक्त दखलनामे पर प्रार्थी के हस्ताक्षर हैं जबकि आवेदन पर अंगूठा निशानी है । इससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि उक्त आवंटन कपट एवं मिथ्या कथनों के आधार पर किया गया है । उक्त आवंटन की जानकारी जमाबंदी की नकल लेने पर हुई । अतः अप्रार्थी कम 1 के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 25.11.2010 निरस्त फरमाया जावे ।



3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय से आवंटन पत्रावली तलब की गई । वकील प्रार्थी एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित । अप्रार्थी की ओर से श्री धारासिंह एड0 का वकालतनामा पेश हुआ किन्तु दौराने बहस वकील अप्रार्थी एवं स्वयं अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वकील प्रार्थी एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई ।
4. वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम नूरपुरा में दिनांक 25.11.2010 को खसरा नम्बर 42 रकबा 0.57 हे0 एवं खसरा नम्बर 48 की 0.23 हे0 भूमि आवंटन की गई है जिसका अप्रार्थी को न तो कब्जा दिया गया है और ना ही मौके पर अप्रार्थी का कब्जा है । दखलनामे पर भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि—“खसरा नम्बर 48 रकबा 0.23 हे0 पर कब्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि उस पर रास्ता बना हुआ है” रास्ते की भूमि प्रतिबन्धित भूमि होने से आवंटन नहीं की जा सकती है । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को किया गया आवंटन अवैध एवं कपट पूर्व किया जाने से निरस्त योग्य है ।
5. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त आवंटित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार रामगंजमण्डी से मौके की रिपोर्ट ली जावे । भूमि की किस्म बंजड होने से किये गये आवंटन में कोई दोष नहीं है ।
6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वकील प्रार्थी के इस तर्क से हम सहमत हैं कि अप्रार्थी को आवंटित खसरा नम्बरान में से ख0 नं0 48 की 0.23 हे0 भूमि रास्ते के उपयोग में आने तथा दखलनामे पर लाल स्याही से अंकित करते हुए उक्त खसरा नम्बरान का कब्जा नहीं दिया गया है । राजकीय अभिभाषक के तर्क अनुसार भूमि की किस्म बंजड होने से किये गये आवंटन में कोई दोष तो नहीं है किन्तु आवंटन से पूर्व आवंटित होने वाले खसरा नम्बरान की मौके की रिपोर्ट ली जाना आवश्यक है । ऐसी स्थिति में आवंटित भूमि की मौका स्थिति अनुसार ही निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

जिज्ञा कसेक्टर  
नोटा

7. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम नूरपुरा में अप्रार्थी कम-1 के हक में किये गये आवंटन खसरा नम्बर 42 रकबा 0.57 हे0 एवं खसरा नम्बर 48 की 0.23 हे0 की जांच करें कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी बापूलाल का कब्जा है या नहीं ? उक्त आवंटित भूमि वर्तमान में किसके कब्जे में है तथा भूमि किस उपयोग में आ रही है ? अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जा रही है अथवा नहीं ? उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में आवंटित भूमि की जांच करने पर यदि अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जा रही है अथवा किये गये आवंटन में कोई खामी है तो पृथक से सरकार की ओर से उक्त आवंटन के निरस्तीकरण के प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
8. निर्णय आज दिनांक 20.7.2021 को खुले मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

  
(उज्ज्वल राठौड़)  
जिला कलेक्टर  
कोटा

जिला कलेक्टर  
कोटा